प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश

रिट याचिका क्रमांक 2258/2000

याचिकाकर्तागण: श्रीमती राजेश्वरी सोनी एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण: म.प्र. विद्युत मंडल एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

2 जुलाई, 2013 को सूचीबद्ध करे।

(हस्ताक्षरित/-)

मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

1/7/2013

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश

रिट याचिका क्रमांक 2258/2000

याचिकाकर्तागण: श्रीमती राजेश्वरी सोनी एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण: म.प्र. विद्युत मंडल एवं अन्य

भारत के संविधान के अनुछेद 226/227 के अंतर्गत याचिका।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उपस्थिति: श्रीमती नौशीना अली, याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता।

श्री मनीष निगम, उत्तरवादीगण क्रमांक 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता।

आदेश

(दिनांक 2.7.2013 को पारित)

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 10.2.2000 (अनुलग्नक पी-7) के आदेश की औचित्यता, वैधता और विधिमान्यता को चुनौती दी है, जहाँ तक यह उत्तरवादी क्रमांक 5 को परिवार पेंशन की 50% राशि के भुगतान का निर्देश देता है। याचिकाकर्ताओं ने याचिकाकर्ता को 9028/- रुपये प्रति माह की दर से परिवार पेंशन का भुगतान करने के निर्देश के लिए प्रार्थना की है। याचिकाकर्ताओं ने याचिकाकर्ता के भविष्य निधि के साथ-साथ मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के दावे के निपटान के लिए निर्देश देने की भी प्रार्थना की है।

याचिकाकर्ताओं ने याचिकाकर्ता क्रमांक 1 को अनुकंपा नियुक्ति देने के निर्देश के लिए भी प्रार्थना की है।

2. हालांकि, तर्क के दौरान, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी दलीलें केवल दिनांक 10.2.2000 (अनुलग्नक P-7) के आदेश की चुनौती और अनुकंपा नियुक्ति के दावे तक ही सीमित रखीं।

3. संक्षिप्त तथ्य, जो याचिका में शामिल विवाद के निर्धारण के लिए सुसंगत हैं, यह हैं कि याचिकाकर्ता क्रमांक 1 के पति बी.एल. सोनी की मृत्यु दिनांक 1.2.1991 को सेवा के दौरान हुई थी। याचिकाकर्ता क्रमांक 1 का मामला है कि उनके स्वर्गीय पति बी.एल. सोनी ने पहला विवाह उषा देवी के साथ किया था और उस विवाह से कोई संतान नहीं थी। उषा देवी की मृत्यु वर्ष 1987 में हुई और उसके बाद स्वर्गीय बी.एल. सोनी ने याचिकाकर्ता से विवाह किया। इस विवाह से दो पुत्र, याचिकाकर्ता क्रमांक 2 और 3 पैदा हुए। उत्तरवादी क्रमांक 5 स्वर्गीय बी.एल. सोनी का भतीजा (भाई का बेटा) है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उत्तरवादी क्रमांक 5 आश्रित नहीं है, बल्कि कमा रहा है। भले ही याचिकाकर्ता ने परिवार पेंशन के भुगतान का दावा किया था, लेकिन उसे संचार दिनांक 13.10.1995 (अनुलग्नक पी -5) के माध्यम से सूचित किया गया कि परिवार पेंशन को याचिकाकर्ता और उत्तरवादी क्रमांक 5 के बीच विभाजित किया जाना है। याचिकाकर्ता ने इस पर आपत्ति जताई (अनुलग्नक पी -6), जिसे नजरअंदाज कर दिया गया और दिनांक 10.2.2000 को आक्षेपित आदेश पारित किया गया, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के लिए केवल 50% परिवार पेंशन राशि दिनांक 1.2.2006 तक स्वीकृत की गई, जिसमें 2,709/- रुपये प्रति माह परिवार पेंशन के रूप में भुगतान का प्रावधान था। पेंशन की 50% राशि उत्तरवादी क्रमांक 5 को दिनांक 2.2.1999 से 6.9.1999 तक, अर्थात् 25 वर्ष की आयु तक के लिए प्रदान की गई है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता क्रमांक 1, विधवा होने के नाते, अकेले पूरी परिवार पेंशन की हकदार है और जब तक याचिकाकर्ता क्रमांक 1 जीवित है, पेंशन राशि को याचिकाकर्ता क्रमांक 1 और उत्तरवादी क्रमांक 5 के बीच विभाजित नहीं किया जा सकता था। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता की वैकल्पिक दलील यह है कि यदि यह मान भी लिया जाए कि 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, अर्थात् दिनांक 6.9.1999 तक ऐसा विभाजन स्वीकार्य था, तो प्रासंगिक नियमों के तहत उत्तरवादी क्रमांक 5 के 25 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पेंशन प्राप्त करने के लिए अपात्र होने के बाद, दिनांक 6.9.1999 के बाद पूरी परिवार पेंशन का भुगतान याचिकाकर्ता को किया जाना चाहिए था। यह तर्क दिया गया है कि नियमों की योजना के तहत एक से अधिक पात्र व्यक्तियों को परिवार पेंशन राशि का वितरण केवल एक से अधिक व्यक्तियों को परिवार पेंशन का लाभ दिलाने की सुविधा है। लेकिन, जब अन्य व्यक्ति किसी भी कारण से परिवार पेंशन का अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए अपात्र हो जाते हैं, तो परिवार पेंशन की पूरी राशि उस व्यक्ति को देय होती है जो पात्र है और पेंशन का एक हिस्सा प्राप्त कर रहा है।

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि अनुकंपा नियुक्ति नीति याचिकाकर्ता क्रमांक 1 को अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने का हकदार बनाती है, लेकिन उसे यह लाभ नहीं दिया गया है। इसलिए इस संबंध में भी निर्देश जारी किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. उत्तरवादी क्रमांक 1 से 4 के विद्वान अधिवक्ता की दलील है कि उत्तरवादी क्रमांक 5 मृतक कर्मचारी का दत्तक पुत्र था। इसके अलावा, मृतक कर्मचारी ने उसके पक्ष में नामांकन भी किया था। ऐसे मामले में, पेंशन नियमों के अनुसार, उत्तरवादी क्रमांक 5 भी याचिकाकर्ता क्रमांक 1 के साथ समान हिस्से में पेंशन का हकदार है। अनुकंपा नियुक्ति के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि याचिकाकर्ता इतने लंबे समय के बाद ऐसे लाभ की

हकदार नहीं है जब उसने इन सभी वर्षों में अपने और दो बच्चों के लिए आजीविका कमाने का प्रबंधन कर लिया है।

6. यह विवादित नहीं है कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के प्रावधानों को विद्युत मंडल द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए अपनाया गया है। यह उत्तरवादीगण के जवाब दावा से स्पष्ट है।

7. परिवार पेंशन का अनुदान 1976 के नियमों के नियम 47 में निहित प्रावधान द्वारा शासित होता है । नियम 47 के उप-नियम (2) के अवलोकन मात्र से पता चलता है कि सेवा के दौरान या सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर, मृतक का परिवार अंशदायी परिवार पेंशन का हकदार होगा । यह प्रावधान आगे राशि के निर्धारण के लिए भी व्यवस्था करता है । परिवार पेंशन की राशि का निर्धारण मृतक कर्मचारी के वेतन पर निर्भर करता है । नियम 47 के उप-नियम (3) के तहत, उन मामलों में परिवार पेंशन की उच्च दर निर्धारित है जहाँ कर्मचारी ने सात वर्ष से कम की निरंतर सेवा न की हो । ऐसे मामले में, परिवार को मिलने वाली परिवार पेंशन की दर अंतिम आहरित वेतन के 50% के बराबर या उप-नियम (2) के तहत स्वीकार्य परिवार पेंशन के दोगुने के बराबर होगी, जो भी कम हो । इसमें आगे यह शर्त भी है कि इस प्रकार स्वीकार्य राशि मृत्यु की तिथि के अगले दिन से सात वर्ष की अवधि के लिए या उस तिथि तक देय होगी जिस दिन कर्मचारी जीवित रहने पर 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता, जो भी अवधि कम हो । नियम 47 का उप-नियम (3) (बी) वहां प्रावधान करता है जहाँ शासकीय सेवक की मृत्यु सेवानिवृत्ति के बाद होती है । वहाँ भी परिवार पेंशन की राशि की गणना पेंशनभोगी द्वारा अंतिम बार प्राप्त किए गए वेतन के आधार पर की जाती है । इसी प्रकार उप-नियम (3) (सी) भी अन्य आकस्मिकताओं से संबंधित है, लेकिन वहाँ भी परिवार पेंशन की दर मृतक कर्मचारी के वेतन पर आधारित होती है । नियम 3 (डी) आगे प्रावधान करता है कि खंड (ए) या (बी) में संदर्भित अवधि की

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

समाप्ति के बाद, उन खंडों या खंड (सी) के तहत परिवार पेंशन प्राप्त करने वाला परिवार, उप-नियम (2) के तहत स्वीकार्य दर पर परिवार पेंशन का हकदार होगा ।नियम 47 के उप-नियमों (2) और (3) में निहित उपरोक्त प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि परिवार पेंशन की राशि की गणना उस सेवक द्वारा प्राप्त वेतन के आधार पर की जानी आवश्यक है जिसकी मृत्यु या तो सेवा के दौरान हुई या सेवानिवृत्ति के बाद ।

8. नियम 47 (7) उस स्थिति में परिवार पेंशन के विभाजन का प्रावधान करता है जहाँ परिवार पेंशन प्राप्त करने के लिए एक से अधिक पात्र व्यक्ति हों। नियम 47 (7) (बी) निम्नानुसार प्रावधान करता है:

"47 (7) (बी)- जहाँ मृतक सरकारी सेवक या पेंशनभोगी के पीछे दूसरी पत्नी हो जो जीवित नहीं है, वहां पात्र बच्चा या बच्चे परिवार पेंशन के उस हिस्से के हकदार होंगे जो माँ को प्राप्त होता यदि वह सरकारी सेवक या पेंशनभोगी की मृत्यु के समय जीवित होती।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उपरोक्त प्रावधान दर्शाता है कि जिन मामलों में मृतक सेवक या पेंशनभोगी की दूसरी पत्नी जीवित नहीं है, वहां पात्र बच्चे उस हिस्से के हकदार होंगे जो माँ को जीवित होने पर मिलता। वर्तमान मामले में, उत्तरदाता प्राधिकारी ने मृतक कर्मचारी द्वारा किए गए नामांकन के आधार पर यह निर्धारित किया है कि उत्तरवादी क्रमांक 5 मृतक कर्मचारी का पुत्र है। वास्तव में, अभिलेख पर रखे गए नामांकन में स्पष्ट रूप से उत्तरवादी क्रमांक 5 को मृतक कर्मचारी के पुत्र के रूप में दिखाया गया है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि उत्तरवादी क्रमांक 5 को उस पत्नी के पुत्र की क्षमता में पेंशन के 50% हिस्से का हकदार माना गया है जो जीवित नहीं है। यद्यपि याचिकाकर्ता द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 5 की स्वर्गीय बी.एल. सोनी के पुत्र के रूप में स्थिति के संबंध में न्यायालय के समक्ष विवाद उठाया गया है, उत्तरवादी क्रमांक 5 और आधिकारिक उत्तरवादीगण द्वारा दायर जवाब में यह कहा गया है कि वह

मृतक कर्मचारी का दत्तक पुत्र था। नियोक्ता ने मृतक कर्मचारी द्वारा किए गए नामांकन के आधार पर इसे स्वीकार किया है। इसलिए, नियोक्ता द्वारा इस संबंध में आगे किसी जांच की आवश्यकता नहीं थी। नियोक्ता गोद लेने की वैधता के प्रश्न में नहीं जा सकता। एक बार जब मृतक कर्मचारी ने उत्तरवादी क्रमांक 5 के पक्ष में अपने पुत्र के रूप में नामांकन कर दिया है, तो वह उसी रूप में माने जाने का हकदार है। इसलिए, मैं इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ कि उत्तरवादी क्रमांक 5 कोई हिस्सा प्राप्त करने का हकदार नहीं था। उपरोक्त प्रावधान से स्पष्टतः उत्तरवादी क्रमांक 5 का पारिवारिक पेंशन में हक बनता है।

9. अगला प्रश्न जो विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या उत्तरवादी क्रमांक 5 के 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पेंशन प्राप्त करने के लिए अपात्र हो जाने के बाद, याचिकाकर्ता केवल 50% पेंशन प्राप्त करना जारी रखेगी या पेंशन का वह हिस्सा जो उत्तरवादी क्रमांक 5 को भुगतान किया जा रहा था, याचिकाकर्ता को वापस मिल जाएगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

नियम 47 के प्रावधान इस संबंध में मौन हैं। इसलिए, इस पहलू की जांच नियम 1976 के तहत परिवार पेंशन के अनुदान की भावना और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए। नियमों के तहत देय पेंशन की राशि मृतक कर्मचारी के वेतन पर निर्भर करती है। नियम 47 (2) (2ए) और (3) के प्रावधानों को पढ़ने मात्र से यह स्पष्ट है। मृतक कर्मचारी के वेतन के आधार पर प्राप्त पेंशन की राशि का विभाजन केवल उस मामले में होता है जहाँ परिवार के एक से अधिक पात्र सदस्य परिवार पेंशन प्राप्त करने के हकदार हों। प्रावधान का उद्देश्य मृतक कर्मचारी के परिवार के एक से अधिक सदस्यों को लाभ पहुँचाना है, हालाँकि इसमें ऐसा कोई शर्त नहीं है कि जहाँ परिवार के एक से अधिक पात्र सदस्य हों, वहां उनमें से प्रत्येक के लिए पेंशन की अलग से गणना की जाएगी। इस तरह के प्रावधान के पीछे लोक नीति पर आधारित सराहनीय उद्देश्य मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। जब परिवार पेंशन तय हो जाती है, तो वह

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

परिवार के पात्र सदस्यों को देय हो जाती है, चाहे उनकी क्रमांक एक हो या अधिक। यदि केवल एक विधवा है, तो वह पूरी परिवार पेंशन की हकदार होगी। इसलिए, यह तार्किक रूप से अनुसरण करता है कि जहाँ, किसी भी कारण से, परिवार के अन्य सदस्य परिवार पेंशन प्राप्त करने के लिए अपात्र हो जाते हैं, तो जो परिवार पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र है, वह नियम 47 के उप-नियम (2) (2ए) और (3) में प्रदान किए गए तरीके से निर्धारित परिवार पेंशन की पूरी राशि प्राप्त करेगा। इसलिए, ऐसे मामले में जहाँ विधवा और पूर्व मृत पत्नी का पुत्र दोनों नियम 47 के उप-नियम (7) (बी) के प्रावधान के आधार पर समान हिस्से में परिवार पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, जैसे ही पूर्व मृत पत्नी का पुत्र 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने के कारण परिवार पेंशन प्राप्त करने के लिए अपात्र हो जाता है, परिवार पेंशन की पूरी राशि जीवित विधवा को देय हो जाएगी। नियमों के किसी भी प्रावधान से न तो स्पष्ट रूप से और न ही किसी आवश्यक आशय से यह पता चलता है कि यदि प्राप्तकर्ताओं में से एक अपात्र हो जाता है, तो परिवार पेंशन की वह राशि जो ऐसे प्राप्तकर्ता को दी जा रही थी, दूसरे प्राप्तकर्ता को देय नहीं होगी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि परिवार पेंशन के प्रावधान कानून के लाभकारी प्रावधान हैं जिनका उद्देश्य मृतक के परिवार के पात्र सदस्यों को वित्तीय लाभ प्रदान करना है।इस न्यायालय के दृष्टिकोण को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश '**द्रोपती बाई बनाम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और अन्य**' (रिट याचिका क्रमांक 6373/2000) से समर्थन मिलता है। आदेश की प्रति अभिलेख में याचिका के अंतिम निराकरण के आवेदन के साथ अनुलग्नक अ-1 के साथ संलग्न है।

10. अतः, इस न्यायालय का यह विचार है कि यद्यपि आक्षेपित आदेश के तहत याचिकाकर्ता और उत्तरवादी क्रमांक 5 के बीच परिवार पेंशन का बँटवारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रखता है, लेकिन उत्तरवादी क्रमांक 5 के 25 वर्ष की आयु पूर्ण करने के कारण अपात्र

हो जाने के बाद, अर्थात दिनांक 6.9.1999 के पश्चात, याचिकाकर्ता दिनांक 10.2.2000 (अनुलग्नक पी-7) के आदेश में निर्धारित अवधि के लिए परिवार पेंशन की पूरी राशि, अर्थात् 9,028/- रुपये की हकदार होगी। तदनुसार उत्तरवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को देय शेष राशि की गणना करें।

11.जहाँ तक याचिकाकर्ता क्रमांक 1 के अनुकंपा नियुक्ति के दावे का संबंध है, वर्तमान मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में जहाँ याचिकाकर्ता क्रमांक 1, जो वर्ष 1999 में रोजगार पाने के लिए पात्र थी, अब 60 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त कर चुकी है (जैसा कि वाद शीर्षक में बताया गया है), मैं याचिकाकर्ता क्रमांक 1 के पक्ष में ऐसा कोई निर्देश जारी करने का इच्छुक नहीं हूँ। इस संबंध में दावे को खारिज किया जाता है।

12.तदनुसार, यह निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायालय के निर्देशानुसार याचिकाकर्ता को देय परिवार पेंशन की पूरी राशि का भुगतान उत्तरवादीगण द्वारा जल्द से जल्द, अधिमानतः इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा।

13.याचिका को उपरोक्त तरीके से और सीमा तक आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(हस्ताक्षरित/-)

मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Aman Ansari, Advocate.